<u>विमानन विभाग (राजपत्रित–तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 2003</u>

विमानन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्रमांक एफ.1–10–2001–पैंतालीस–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित–तकनीकी) के पायलट, इंजीनियर तथा फोरमेन की भर्ती तथा सेवा भरती शर्तों से संबंधित निम्नालिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

नियम
भाग–1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेष विमानन विभाग (राजपत्रित–तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम, 2003 है ।

(2) ये नियम दिनांक 19 सितम्बर 2003 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं––**

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार,

(ख) ''नियुक्ति'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सेवा के किसी पद पर नियुक्ति,

(ग) ''प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा बोर्ड, जो उन स्थापित चिकित्सीय मानकों के, जो सेवा केसदस्य के कर्तव्य के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित है, अनुपालन को प्रमाणि करने के लिए प्राधिकृत है,

(घ) ''संचालक'' से अभिप्रेत है संचालक, विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेष,

(ड) ''संचालनालय'' से अभिप्रेत है विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेष,

(च) ''इंजीनियर'' से अभिप्रेत है संचालनालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी, जो कि विमान/हैलीकाप्टर का रख–रखाव करता हो तथा उसकी अर्हता रखता हो,

(छ) ''फोरमेन'' से अभिप्रेत है संचालनालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी, जो तकनीकी कर्मचारीवृंद के पर्यवेक्षण में तथा वायुयानों के रख–रखाव से संबंधित कार्य में लगा हुआ है,

(ज) ''सरकार'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेष सरकार,

(झ) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेष के राज्यपाल,

(ञ) ''पायलट'' से अभिप्रेत है संचालनालय में कार्यरत तकनीकी अधिकारी, जो विमान/हैलीकॉप्टर की उड़ानों के पर्यवेक्षण में तथा वायुयानो के रख–रखाव से संबंधित कार्य में लगा हुआ है,

(ट) ''अनुसूचित'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेष विमानन विभाग (राजपत्रित–तकनीकी) सेवा जिसमें पायलट, इंजीनियर तथा फोरमेन की सेवा सम्मिलित है.

3. विस्तार तथा लागू होना–

मध्यप्रदेष सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये नियम सेवा के प्रत्ये सदस्य पर लागू होगे ।ऽ

भाग–दो

सेवा का गठन, वर्गीकरण तथा वेतनमान

4. सेवा का गठन––

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होगे, अर्थातः–

(क) वे व्यक्ति, जो 1 जून 1982 को संचालनालय, बनाये जाने के पूर्व मध्यप्रदेष फलाईग क्लब में कार्यरत थे तथा जिन्हे उस तारीख को संचालनालय में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) वे व्यक्ति, जो अनुसूची–दो में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखते हों, जो भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार (सरकारों) में नियोजित है/थे तथा जिन्हे सरकार द्वारा प्रतितिनयुक्ति पर या संविदा पर नियोजन दिया जा सकता हो ।

(ग) वे व्यक्ति, जो अनुसूची–दो में यथाविनिर्दिष्ट अर्हता तथा अनुभव रखते हों, जो देष के अन्य संगठनों में नियोजित है/थे तथा जिन्हे सरकार द्वारा संविदा के आधार पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियोजन दिया जा सकता हो ।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि––

(क) सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी तथापि सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

(ख) सेवा का कोई सदस्य, सेवा के गठन में कोई परिवर्तन या सरकार द्वारा संवर्ग में किसी रिक्त पद को भरे नहीं जाने अथवा आस्थगित रखने के परिणामस्वरूप प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

भाग–तीन

नियुक्ति

6. सेवा में प्रारम्भिक नियुक्तिः–

(1) इन नियमों के अधीन समस्त प्रारंभिक नियुक्तियां, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर विभाग की आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन शर्तो में सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा की जाएंगीः–

(क) प्रतिनियुक्ति के आधार पर,

(ख) खुली प्रतियोगिता के आधार पर संविदात्मक नियोजन.

(2) राज्य सरकार,उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्ति के लिये आवेदन–प्त्र आमंत्रित करने हेतु समाचार–पत्रो में एक विज्ञापन जारी करेगी, पात्र अळयर्थी साक्षातकार के लिये बुलाए जाएंगे. नियम 14 के उपनियम (3) में उल्लिखित किये गये अनुसार साक्षात्कार बोर्ड गठित किया जाएगा. साक्षात्कार बोर्ड नियुक्ति के लिये प्रतीक्षा सूची को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त नामों की अनुषंसा कर सकेगा ।

(3) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावष्यकता द्वारा ऐसा अपेक्षित है तो सरकार उपयुक्त अळयर्थी की नियुक्ति के संबंध में, जिसे मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याषा में सरकार द्वारा जारी विषेष ओदष द्वारा विनियमित किया जाना है, भरती के उन तरीकों के अलावा, जो उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किए गए है।, भर्ती के अन्य तरीके अंगीकृत कर सकेगी. ऐसे मामलों में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन बाद में अभिप्राप्त किया जाएगा ।

7. सेवा में नियमित नियुक्ति––

इन नियमों के अधीन समस्त प्रारंभिक नियुक्तियां सरकार द्वारा उपर उल्लिखित तरीकों में से किसी एक तरीके के अनुसार विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो के अधीन की जाएगी. तथापि सरकार

द्वारा सेवा के किसी सदस्य को, उसकी उत्कृष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित सेवा में आमेलित किया जा सकेगा. परन्तु सेवा का कोई भी सदस्य, सेवा के नियमितीकरण का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा ।

8. **तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव––**

नियुक्ति के लिये तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव ऐसा होगा, जैसा कि अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

9. **चरित्र––**

आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जो सरकार में उसके नियोजन के लिये उसे पूर्ण रूप से अर्ह बनाता हो तथा उसका कार्य संबंधी अनुभव निर्विवाद, असंदेहास्पद, अनापत्तिजनक तथा निष्कलंक चरित्र का होना चाहिए ।

10. **शारीरिक तथा मानसिक उपयुक्तता––**

(1) अभ्यथी को स्वस्थ, कुषाग्रबुद्धि तथा किसी भी प्रकार के अंग दोष या शारीरिक अंगषैथिल्य से मुक्त होना चाहिए तथा अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थापित किए गए अपेक्षित स्वास्थ्य संबंधी मानकों की पूर्ति करना चाहिए ।

(2) पायलट/इंजीनियर उनकी अनुज्ञप्ति को विधिमान्य बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे (अर्थात् वे अपनी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता निरंतर रखने के लिये यथोचित समय में, अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष कम से कम ऐसे समय के पूर्व जो अनुमोदित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निद्रषित विनिर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त हो, उपस्थित होगे). तथापि सरकार, संबंधित पायलट/इंजीनियर को अनुज्ञप्ति (अनुज्ञप्तियों) के नवीनीकरण, पृष्ठांकन (यदि ऐसा आवष्यक हो) के लिये, चिकित्सीय परीक्षण के नवीकरण के लिये चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समस्त आवष्यक परीक्षण करने तथा अनुज्ञप्ति के बारे में महानिदेषक, सिविल विमानन, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को समय के भीतर पूर्ण करने की समस्त सुविधाएं प्रदान करेगी ।

11. **नरर्हता––**

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे नियुक्ति के लिये निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

12. **नियुक्ति के संबंध में अंतिम विनिष्चय–**

नियोजन के संबंध में सरकार का विनिष्चय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बाध्यकारी होगा ।

13. **कार्य प्रवीणता के लिये आवष्यक प्रबंध–**

सरकार द्वारा सेवा के विभिन्न सदस्यो की तकनीकी प्रवीण्ता तथा प्रषासनिक क्षमता में वृद्धि के लिये, समय–समय पर, आवष्यक प्रषिक्षण (प्रषिक्षणों) का प्रबंध विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

भाग—चार

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु प्रक्रिया——

(1) संचालनालय के कतनीकी अधिकारी (पायलट/इंजीनियर), सेवा के प्रथम 6 वर्ष के दौरान कनिष्ठ पद के वेतनमान में रहेंगे, वरिष्ठ पद के लिये 4 वर्ष का कार्य अनुभव तथा उसके पष्चात वरिष्ठ चयन ग्रेड/पदों के लिये कर्तव्यों के उत्कृष्ट निर्वहन के साथ 4 वर्ष का और कार्य अनुभव ।

(2) अनुसूची—दो में यथा विनिर्दिष्टयोग्यता/अर्हता/अनुभव प्राप्त करने के पष्चात् सरकार, सेवा में के किसी उपयुक्त अधिकारी के मामले में उस पद पर पदोन्नति के लिये विचार करेगी, जैसा कि अनुसूची—चार में विनिर्दिष्टकिया गया है और जो कि संचालक की अनुषंसा पर उच्च पद पर पदोन्नति के लिये हकदार है, तथा पदोन्नति के संबं में सरकार का विनिष्चिय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

(3) सरकार, उप—नियम (2) के अधीन संचालक की अनुषंसा पर एक पदोन्नति समिति का गठन करेगी, जिसमें प्रमुख सचिव (गृह), प्रमुख सचिव (विमानन) संचालक विमानन होंगे तथा उस सेवा के विषय—विषेषज्ञ को आमंत्रित करेगी. पदोन्नति समिति, पदोन्नति प्रस्ताव पर विचार करेगी तथा प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को अपनी अनुषंसा से अवगत करायेगी. सरकार, समिति की अनुषंसा के अनुसार पदोन्नति देने हेतु अंतिम विविष्चय करेगी.

(4) अपने उच्च पद हेतु विनिर्दिष्ट योग्यता/अर्हता/अनुभव प्राप्त करने के पष्चात् भी यदि किसी भी कारण से कैडर में पदोन्नति हेतु उच्च पद विद्यमान नहीं है तो सरकार, संचालक की अनुषंसा से, सेवा के उस तकनीकी अधिकारी को, जिसका सेवा अभिलेख लगातार उत्कृष्ट है तथा जो उच्च पद की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नति से वंचित है, उच्च पद का वेतनमान स्वीकृत करने का विनिष्चय करने के लिये आवष्यक ऐसी प्रक्रिया अपनाएगी, जैसी कि युक्तियुक्त समझी जाए.

भाग—पॉच

अन्य

15. **सीधी भर्ती / पदोन्नति पदों का अनुपात——**

अनुसूची एक में यथा उल्लेखित समस्त पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये अलग से कोई अनुपात नही होगा अर्थात् सरकार, विभाग की आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों को सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरने के लिये अपने विवेकाधिकार का उपयोग करेगी.

16. **आरक्षण अधिनियम / नियमों / आदेषों का लागू होना——**

नियुक्ति प्राधिकारी, यह सुनिष्चित करेगा कि भर्ती या पदोन्नति के समय लागू तथा प्रवृत सभी आरक्षण अधिनियम / नियमों / आदेषों का अनुपालन किया गया है.

17. **वरिष्ठता——**

सरकार द्वारा मध्यप्रदेष सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता अवधारित की जाएगी.

18. **पदक्रम ससूची——**

सरकार सेवा के सदस्यों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम में दर्षाते हुए एक पदक्रम सूची रखेगी.

19. **वेतनमान——**

सेवा के विभिन्न पदों के लिये सेवा के सदस्यों का वेतनमान ऐसा होगा, जो अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट किया गया है या जैसा सरकार द्वारा अवधारित किया जाए.

20. **भत्ता——**

राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर, साधारणतः मंजूर किए गए भत्ते सेवा के सदस्यों को संदेय होगे. तथापि, उक्त भत्तों के अतिरिक्त तकनीकी अधिकारियेां की सेवाओं की श्रमसाध्यता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन के पष्चात् सेवा के सदस्यों को अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट विषेष भत्ते भी, समय पद देय होंगे.

21. **आचरण नियम——**

सेवा के सदस्य, मध्यप्रदेष सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगे.

भाग—छः

नियमों में षिथिलीकरण तथा निर्वचन

22. षिथिलीकरण——

इन नियमों की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सरकार के किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले को, जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, निपटाने की शक्ति को सीमित कम करती हो.

परन्तु जहॉ कोई नियम किसी व्यक्ति के मामले में षिथिल किया गया हो, वहां ऐसा मामला, किसी भी ऐसी रीति में नही निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित की तुलना में उसके लिये कम अनुकूल हो.

23. निर्वचन——

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रष्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिष्चय उस पर अंतिम होगाः—

vuqlwph& ,d

¼nsf[k;s fu;e&5½

पायलट

क्र.	पदनाम	पद संख्या स्वीकृत	श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	चीफ पायलट/संचालक	1	प्रथम	18400—500—22400
2	सीनियर पायलट (हेलीकॉप्टर)	5	प्रथम	18400—500—22400
3	सीनियर पायलट (एयरक्रफट)	1	प्रथम	18400—500—22400
4	पायलट (एयरक्रफट)	1	प्रथम	16400—450—20000
5	जूनियर पायलट (एयरक्रफट)	2	प्रथम	10000—325—15200

इंजीनियर

क्र.	पदनाम	पद संख्या स्वीकृत	श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	चीफ इंजीनियर	1	प्रथम	18400—500—22400
2	डिप्टी चीफ इंजीनियर (मेंटेनेंस)	1	प्रथम	16400—450—20000
3	डिप्टी चीफ इंजीनियर (रेडियो)	1	प्रथम	16400—450—20000
4	अधीक्षण यंत्री (मेंटेनेंस)	1	प्रथम	14300—400—18300
5	अधीक्षण यंत्री (रेडियो)	0	प्रथम	14300—400—18300
6	फोरमेन	1	द्वितीय	6500—200—10500

अनुसूची —दो

(देखिये नियम—5)

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यताएं/अर्हताएं
1	2	3
1	**चीफ पायलट/संचालक**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. उडान का अनुभव– कुल 4000 उडान घंटे का, जिसमें से मल्टि इंजन विमान/हेलीकॉप्टर 3000 उडान घंटे पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में होना चाहिये। स. विधिमान्य एयर–लाइन्स ट्रांसपोर्ट पायलट लायसेंस (विमान/हेलीकॉप्टर) द. टेस्ट पायलट/उडान प्रषिक्षक का अनुभव एवं महानिदेशक नागर विमानन द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षक के रूप में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव. ई. वैध आई.आर. फ. पूर्ण/अर्धपूर्ण ग्लास कॉकपिट में उडांन के अनुभव वाले पायलट को प्राथमिकता. ज. उडान के आयोजन और संचालन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अनुभव. च. Computer working का Basic Knowledge.
2	**सीनियर पायलट**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2

	(विमान)	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. कुल 3000 उडान घंटे का अनुभव, जिसमें से 2000 उडान घंटे मल्टि ट्विन इंजन विमान पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में अनुभव। स. विधिमान्य एयर–लाइन्स ट्रांसपोर्ट पायलट लायसेंस विमान. द. टेस्ट पायलट/फ्लाईट इंस्ट्रक्टर/महानिदेशक नागर विमानन द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षक पायलट को प्राथमिकता. ई. पूर्ण/अर्धपूर्ण ग्लास कॉकपिट में उडांन के अनुभव वाले पायलट को प्राथमिकता. फ. वैध आई.आर. ज. Computer working का Basic Knowledge.
3	सीनियर पायलट (हेलीकॉप्टर)	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. कुल 3000 हेलीकॉप्टर उडान घंटे का अनुभव, जिसमें से 1500 उडान घंटों का पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में मल्टि/दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर पर अनुभव। स. वैध आई.आर. द. विधिमान्य एयर–लाइन्स ट्रांसपोर्ट/कमर्षियल पायलट (हेलीकॉप्टर) लायसेंस प्राप्त. ई. टेस्ट पायलट/फ्लाईट इंस्ट्रक्टर/महानिदेशक नागर विमानन द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षक पायलट को प्राथमिकता. फ. पूर्ण/अर्धपूर्ण ग्लास कॉकपिट में उडांन के अनुभव वाले पायलट को प्राथमिकता. ज. विधिमान्य आई/आर (हेलीकॉप्टर) च. Computer working का Basic Knowledge.
4	पायलट	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2

	(विमान)	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. कुल 2000 उडान घंटे का अनुभव, जिसमें से 1000 पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में तथा मल्टि/दो इंजन वाले विमान पर 500 घंटे का पायलट–इन–कमाण्ड का अनुभव । स. वैध आई.आर. द. विधिमान्य एयर–लाइन्स ट्रांसपोर्ट पायलट लायसेंस विमान. ई. Computer working का Basic Knowledge.
5	**जूनियर पायलट (विमान)**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. कुल 1000 उडान घंटे का अनुभव, जिसमें से 500 घंटे पायलट–इन–कमाण्ड के रूप में. स. वाणिज्यिक पायलट लायसेंस की अर्हता (विमान). द. विधिमान्य आई.आर. ई. मल्टी/दो इंजिन वाले विमान पर अनुभव वाले पायलट को प्राथमिकता. फ. Computer working का Basic Knowledge.

इंजीनियर्स

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यताएं/अर्हताएं
1	2	3
1	**मुख्य अभियंता**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. 1. वर्ग ''ए'' में हेवी एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर का ए.एम.ई. लायसेंस. 2. वर्ग ''सी'' में टरबाइन इंजिन का ए.एम.ई. लायसेंस.

		3. वर्ग ''ए'' एवं ''सी'' में राज्य शासन के बेडे में शामिल एयरोप्लेन पर ए.एम.ई. लायसेंस. 4. वर्ग ''ए'' एवं ''सी'' में ट्विन इंजिन हेलीकॉप्टर पर ए.एम.ई. लायसेंस. 5. Computer working का Basic Knowledge. स. अनुभवः एयरक्राफ्ट मेंटैनेंस क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का विमान एवं हेलीकॉप्टर के रख–रखाव का एक साथ अनुभव एवं कम से कम 10 वर्ष का ए.एम.ई. के रूप में र्का करने का अनुभव और कम से कम 7 वर्ष का क्यू.सी.एम. का अनुभव भी होना चाहिए.
2	उपमुख्य अभियंता (संधारण)	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. 1. वर्ग ''ए'' में हेवी एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर पर ए.एम.ई. लायसेंस. 2. वर्ग ''सी'' में टरबाइन इंजिन पर ए.एम.ई. लायसेंस. 3. वर्ग ''ए'' एवं ''सी'' में शासन के बेडे में शामिल विमान/हेलीकॉप्टर पर ए.एम.ई. लायसेंस. 4. Computer working का Basic Knowledge. स. अनुभवः एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तथा कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ए.एम.ई. के रूप क्यू.सी.एम./डिप्टी क्यू.सी.एम. के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए.
3	उपमुख्य अभियंता (रेडियो)	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. 1. वर्ग ''आर'' में ए.एम.ई. लायसेंस.

		2. Computer working का Basic Knowledge. स. अनुभवः विमान/हेलीकॉप्टर पर कम्यूनिकेषन, नेवीगेषन एवं कलर्ड वेदर राडार के रख–रखाव का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव एवं कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ए.एम.ई. के रूप में तथा डिप्टी क्यू.सी.एम. के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए.
4	**अधीक्षण यंत्री (संधारण)**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. 1. वर्ग ''ए'' में हेवी एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर पर ए.एम.ई. लायसेंस. 2. वर्ग ''सी'' में टरबाइन इंजिन का ए.एम.ई. लायसेंस. 3. Computer working का Basic Knowledge. स. अनुभवः एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें 3 वर्ष का ए.एम.ई. के रूप में अनुभव भी होना चाहिए.
5	**अधीक्षण यंत्री (रेडियो)**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. 1. वर्ग ''आर'' में ए.एम.ई. लायसेंस. 2. Computer working का Basic Knowledge. स. अनुभवः विमान/हेलीकॉप्टर, कम्यूनिकेषन, नेवीगेषन एवं कलर्ड वेदर राडार के रख–रखाव का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 3 वर्ष का ए.एम.ई. के रूप में अनुभव भी होना चाहिए.

6	**फोरमेन**	अ. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 10 + 2 हायर सेकेण्ड्री, गणित एवं विज्ञान सहित. ब. Computer working का Basic Knowledge. स. विमानों के रख–रखाव का 10 वर्ष का अनुभव.

अनुसूची–तीन

(देखिये नियम–20)

विमानन संचालनालय मध्यप्रदेष,सिविल एरोड्म, भोपाल के अधिकारियेां को देय भत्ते

अ.क्र.	भत्तो का प्रकार	अधिकारियों का पदनाम	वर्तमान दर
1	2	3	4
1	विशेष उडान भत्ता	(क) चीफ पायलट एवं सीनियर पायलट (ख) पायलट एवं जूनियर पायलट (ग) इंजीनियर	रू. 550/–प्रति उडान घंटा (न्यूनतम 8,000/– प्रतिमाह) रू. 450/–प्रति उडान घंटा (न्यूनतम 8,000/– प्रतिमाह) रू. 180/–प्रति उडान घंटा (न्यूनतम 4,000/– प्रतिमाह)
2	इंस्ट्रक्टर रेंटिग भत्ता	महानिर्देशक, नागर विमानन भारत शासन द्वारा एप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर पायलट को देय.	रू. 750/– प्रतिमाह
3	चीफ पायलट भत्ता	चीफ पायलट	रू. 500/– प्रतिमाह
4	वाहन भत्ता	समस्त पायलट/इंजीनियर	रू. 2,000/– प्रतिमाह
5	एविएषन	समस्त पायलट/इंजीनियर/फोरमेन	रू. 250/– प्रतिमाह
6	क्यू.सी.एम. भत्ता	इंजीनियर महानिर्देषक नागर विमानन द्वारा नामांकित.	रू. 400/– प्रतिमाह
7	डिप्टी क्यू.सी.एम. भत्ता	इंजीनियर महानिर्देषक नागर विमानन द्वारा नामांकित.	रू. 250/– प्रतिमाह
8	अतिरिक्त इंडोर्समेंट भत्ता	पायलट/इंजीनियर फ्लीट के विमान के उडान योग्य होने की शर्त पर.	रू. 200/– प्रतिमाह

9	फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेट (एफ.आर.सी.)	इंजीनियर	रू. 100/— प्रतिमाह
10	डेली इंसपेक्षन भत्ता	पायलट/इंजीनियर	रू. 100/— प्रति इंसपेक्षन
11	लास ऑफ लायसेंस का बीमा	समस्त पायलट	बीमा राशि रू. 7.00 लाख प्रति पायलट

अनुसूची—4

(देखिए नियम—14)

पायलटस

अ.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पदोन्नति की जावेगी
1	2	3
1	जूनियर पायलट (विमान)	पायलट (विमान)
2	पायलट (विमान)	सीनियर पायलट (विमान)
3	सीनियर पायलट (विमान)	चीफ पायलट
4	सीनियर पायलट (हेलीकॉप्टर)	चीफ पायलट

इंजीनियर्स

अ.क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पदोन्नति की जावेगी
1	2	3
1	अधीक्षण यंत्री (संधारण)	उपमुख्य अभियंता (संधारण)
2	अधीक्षण यंत्री (रेडियो)	उपमुख्य अभियंता (रेडियो)
3	उपमुख्य अभियंता (संधारण)	चीफ इंजीनियर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एन.बैरवा, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2003

क्र. एफ 1—10—2001—पैंतालीस—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ—1—10—2001—पैंतालीस, दिनांक 19 flrEcj 2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एन.बैरवा, प्रमुख सचिव,

No. F-1-10-2001-XLV.— In Exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the Recruitment and Service Conditions of the Pilots, Engineers and Foreman of the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted Technical) namely :-

RULES

PART-I

GENERAL

1. Short title and Commencement.– (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003.

(2) They shall come into force from 19th September, 2003.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires.–

(a) "Appointing Authority" means the State Government;

(b) " Appointment" means appointment on any post of the service by the State Government;

(c) "Authorized Medical Authority" means a Medical Officer or Medical Boards who is authorized to certify the compliance of established medical standards required in view of the discharge of duty of the members of the service.

(d) "Director" means the Director, Directorate of Aviation, Madhya Pradesh.

(e) "Directorate" means the Directorate of Aviation Madhya Pradesh.

(f) "Engineer" means the Technical Officer working in the Directorate who maintain aero plane/helicopter and possesses its qualification;

(g) "Foreman" means the Technical Officer working in the Directorate, who is involved in the supervision of the Technical staff and maintenance related work of the Aircraft;

(h) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(i) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(j) "Pilot" means the Technical Officer working in the Directorate who operates the flights of aeroplane/helicopter and possess its qualification;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(l) "Service" means Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service which includes the services of pilots. Engineer and Foreman.

3. Scope and Application.— Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Civil Service (Gazetted Conditions of Service) Rules, 1961 these shall apply to every member of the service.

PART - II

COSTITUTION, CLASSFICATION AND PAY SCALES

4. Constitution of the Service.— The Service shall consist of the following persons, namely:—

(a) Those persons who were working with the Madhya Pradesh Flying Club before the formation of the Directorate on 1st June, 1982 and who have since been absorbed in the Directorate on date.

(b) Those persons, possessing qualification and experience as specified in Schedule-II, who are/were in employment with the Government of India or other State Government (s) and may be provided employment by the Government on Deputation or on contract.

(c) Those persons, possessing qualification and experience as specified in Schedule-II, who are/were in employment with other organization of the country, and, who may be provided employment on contract basis, by the Government, on the basis of open competition.

5. Classification, the Scales of Pay etc.— (a) The classification of service, the pay scales thereof and the number of posts included in the service, shall be as specified in Schedule-I, However, the Government may add, to or, reduce the number of posts included in the service, either on a permanent, or temporary basis.

(b) No member of the service shall be entitled to compensation, in consequence of any change in the structure of the service, or, in the event of unfilled by the Government, or, holding in abeyance, a vacant post in the cadre.

PART-III
APPOINTMENT

6. Initial Appointment in the Service.— (1) All initial appointment under these rules shall be made by the State Government from time to time keeping in view of requirements of the Department, under those conditions, as specified by the government in the service Conditions of Technical Officers Class-I and II, of the Directorate, in accordance with any one of the following methods:—

(a) on the basis of Deputation ;

(b) Contractual Employment on the basis of Open competition.

(2) For the appointment, under clause (b) of Sub-rule (1) the State Government shall issue an advertisement in news papers for inviting application, eligible candidates shall be called for interview. The interview board shall be constituted as mentioned in sub rule (3) of rule 14. The interview board may be recommend suitable names for appointment including waiting list.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the onion of the Government immediate and exigency of the service so requires, the Government may adopt such other methods of recruitment of the service, in addition to those specified in the said sub-rule, in respect of the appointment of a suitable candidate, to be regulated by a special order issued by the Government in anticipation of the approval of the cabinet. In such cases, approval of the cabinet shall be obtained later.

7. Regular Appointment to the Service :— Under these rules, all initial appointments shall be made by the Government in accordance with any one of the above-mentioned methods, under the specified service conditions. However any member of the service may be absorbed in regular service by the Government keeping in view of his outstanding services. But no member of the service may claim regularization of service as a matter of right.

8. Technical Qualification and Experience:- The technical qualifications and experience for the appointment shall be such as specified in Schedule-II.

9. Character.— The character of the applicant must be such, which completely qualify for the employment with the Government, and his working experience should be undisputed, unsuspicious, unobjectionable and unblemished character.

10. Physical and Mental Fitness.— (1) The Candidate must be healthy, smart and free from and kind of organic defect of bodily infirmity and shall fulfill the required health related standards established by the approved Medical Authority.

(2) the Pilot/Engineers shall be responsible to keep there licence valid (i.e., they shall appear before the approved Medical Authority at least before such time as to complete the specified formalities directed by the approved Medical Authority in adequate time, for the continuity of the validity of the Licence). However, the Government will provide all necessary facilities to the concerned Pilot/ Engineer towards the renewal, endorsement (if so necessary) of the licence(s) all necessary examination specified by the Medical Authority towards the renewal of the Medical Examination and timely completion of all formalities, as per rules, specified by the Director General of Civil Aviation, Government of India, in respect of the licence.

11. Disqualification.— Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature, by any means, may be held by the Appointing Authority, to disqualify him for the appointment.

12. Final Decision n respect of Appointment.— In decision of the Government, in respect of employment, shall be final and binding on the candidate.

13. Necessary Arrangement for work Proficiency.— In order to enhance the Technical Proficiency and Administrative Capability of the various members of the service, the arrangement for the necessary training(s), from time to time, shall be specified by the Government.

14. Procedure for Appointment by Promotion.— (1) The Technical Officers (Pilot/Engineer) of the Directorate shall remain in the pay scale of Junior post during the first 6 years of service, working experience of 4 years for Senior post and thereafter, further 4 years of working experience with excellent discharge of duties for Senior Selection Grade/Posts.

(2) After having attained the ability/qualification/experience as specified in Schedule-II, the Government shall consider the case of suitable officer of the service for promotion who is entitle for promotion to the higher post as mentioned in annexure-iv, on the recommendation of the Director and the decision of the Government in respect of the promotion shall be final and binding.

(3) On the recommendation of the Director under sub-rule (2), the Government shall constitute a promotion committee comprising of Principal Secretary (home). Principal Secretary (Aviation), Director of Aviation and invite a subject expert of that service, The Promotion committee shall consider the promotion proposal and shall apprise the Principal Secretary Aviation Department with its recommendation. The Government shall take a final decision for giving promotion in accordance with the recommendation of the committee.

(4) Even After having attained the ability/qualification/experience specified for the next higher post, of no higher post exists for the promotion in the cadre, due to any reason the Government on the recommendation of the Director shall adopt such procedure as may be deemed appropriate, to take necessary decision for the sanction of that pay scale of the higher post, to that technical officer of the service, who has continuous excellent service record, and, is deprived of promotion due to the non availability of the higher post.

PART-V
OTHERS

15. Ratio of direct Recruitment/Promotion Posts.— There shall be no separate ratio for all the posts as mentioned in Schedule-I, for Direct Recruitment or by Promotion. i.e., the Government shall use its discretion to fill the posts by direct recruitment or by promotion keeping in views of the requirement of the Department.

16. Applicability of Reservation Act/Rules/Orders.— The Appointing Authority shall ensure the compliance of all Reservation Act/Rules/Orders applicable and in force at the time of recruitment of promotion.

17. Seniority.— The inter seniority of the members of the service shall be determined by the Government as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

18. Gradation List.— The Government shall keep a gradation list, showing the names of the members of the service in their order of seniority.

19. Pay.— The pay of the members of the service, for various posts of the service, shall be such as specified in Schedule-I, or as may be determined by the Government.

20. Allowance.— The allowance normally granted by the Government, from time to time, shall be payable to the members of the service. However, in addition to the said allowance the special allowance shall also be payable to the members of the service as specified in schedule-III, after approval of the Government, from time to time, keeping in view the laboriousness of the services of the technical officers.

21. Conduct Rules.— The members of the of the service shall be governed bythe Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

PART-VI
RELAXATION IN RULES AND INTERPRETATION

22. Relaxation.— Nothing in these rules shall be construed to limit, or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner, as may appears to it to, be just and equitable.

Provided that, where any rule is relaxed in the case of any person, the case shall not be with, in any manner less favourable to him, than that provided in these rules.

23. Interception.— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the General Administration Department to the Government, whose decision thereon, shall be final.

SCHEDULE -I

(*See* Rule 5)

S. No.	Name of Post included in the Service	No. of Posts	Class	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PILOT			
1.	Chief Pilot Director	1	FIRST	18400-500-22400
2.	Senior Pilot (Helicopter)	3	FIRST	18400-500-22400
3.	Senior Pilot (Aircraft)	1	FIRST	18400-500-22400
4.	Pilot (Aircraft)	1	FIRST	16400-450-20000
5.	Junior Pilot (Aircraft)	2	FIRST	10000-325-15200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ENGINEER			
1.	Chief Engineer	1	First	18400-500-22400
2.	Deputy Chief Engineer (Maintenance)	1	First	16400-450-20000
3.	Deputy Chief Engineer (Radio)	1	First	16400-450-20000
4.	Superintending Engineer (Maintenance)	1	First	14300-400-18300
5.	Superintending Engineer (Radio)	0	First	14300-400-18300
6.	Foreman	1	Second	6500-200-10500

SCHEDULE-II

(*See* Rule 8)

S. No.	**Designation**	**Qualification**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Chief Pilot/Director	(a) 10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science. (b) Flying Experience Total, 4000 hours, out of which 3,000 hours as pilot in command on Multi-engine Aeroplance/Helicopter. (c) Valid Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplance/Helicorpter)

		(d)	Experience as a Test Pilot/Flight Instructor and a Minimum of 2 years of experience of D.G.C.A. approved Examiner.
		(e)	A minimum of 10 years experience to plan and operate flight out of which atleast 5 years independently.
		(f)	Valid I.R.
		(g)	Basic knowledge of computer working.
2.	Senior Pilot (Aeroplane)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	Flying experience Total 3,000 hours, out of which 2,000 hours as Pilot in command on Multi-engine/Twin engine Aeroplane.
		(c)	Valid Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplane)
		(d)	Priority to Test Pilot/Flight Instructor/D.G.C.A. approved Examiner.
		(e)	Priority to Pilot having flying experience on Full/Half Glass Cockpit, Valid I.R.
		(f)	Basic knowledge of computer working.
3.	Senior Pilot (Helicopter)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	Flying experience Total 3,000 hours, out of which 1,500 hours as Pilot in command on Twin engine Helicopter.
		(c)	Valid Airline Transport/Commercial Pilot's Licence (Helicoptor).
		(d)	Priority to Test Pilot/Flight Instructor/D.G.C.A. approved Examiner.
		(e)	Priority of Pilot having flying experience on Full/Half Glass Cockpit.
		(f)	Valid I.R. (Helicopter)
		(g)	Basic knowledge of computer working.
4.	Pilot (Aeroplane)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	Flying Experience Total 2,000 hours, out of which 1,000 hours as Pilot-in-command and 500 hours as Pilot-in-Command on Multi-engineer/Twin engine Aeroplane.
		(c)	Valid Airline Transport Pilot's Licence (Aeroplance)
		(d)	Valid I.R.
		(e)	Basic knowledge of computer working.

(1)	(2)	(3)
5.	Junior Pilot (Aeroplane)	(a) 10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science. (b) Flying Experience Total 1,000 hours, out of which 500 hours as Pilot in command (c) Commercial Pilot's Licence Aircraft. (d) Valid I.R. (e) Experience of Multi/Twin Engine Aeroplane Pilot. (f) Computer Working of basic knowledge.

ENGINEERS :

1.	Chief Engineer	(a) 10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science. (b) 1. AME Heavy Lincence Aeroplane/Helicopter Category "A" 2. AME Turbine Engine Licence in category "C". 3. AME Aircraft Licence category "A" and "C" on Aeroplane in Government Fleet. 4. AME Licence on Twin Engine Helicopter category "A" and "C". 5. Basic knowledge of Computer Working. (c) 15 years maintenance working experience on aircraft and helicopter and 10 years experience as AME in which 7 years experience as QCM.
2.	Deputy Chief Engineer (Maintenance)	(a) 10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science. (b) 1. AME Heavy Lincence Aeroplane/Helicopter Category "A" 2. AME Turbine Engine Licence in category "C". 3. AME Licence on Aeroplane/Helicopter in category "A" and "C" 4. Basic knowledge of Computer Working. (c) 10 years maintenance working experience relevant field and helicopter and 5 years experience as AME in which 3 years experience

			as QCM./Dy.QCM
3.	Deputy Chief Engineer (Radio)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science Passed.
		(b)	1. AME Licence Category "R". 2. Basic knowledge of Computer Working.
		(c)	Experience of 10 years on Aircraft/Helicopter Communication, Navigation and colored weather radar in which 5 years as AME & 3 years as deputy QCM.
4.	Superintending Engineer (Maintenance)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	1. AME Licence Category "A" on heavy Aircraft or Helicopter. 2. AME Licence category "C" on Turbine Engine. 3. Basic knowledge of Computer Working.
		(c)	Experience of 5 years in Aviation out of which 3 years as AME.
5.	Superintending Engineer (Radio)	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	1. AME Licence Category "R". 2. Basic Knowledge of Computer Working.
		(c)	Experience of 5 years on Aircraft/Helicopter Communication, Navigation, and colored weather radar in which 3 years as AME.
6.	Foreman	(a)	10+2 Higher Secondary from any recognized Board with Maths & Science.
		(b)	Basic Knowledge of Computer Working.
		(c)	10 years maintenance experience on Craft.

SCHEDULE-III

(*See* Rule 20)

S. No. (1)	Type of Allowance (2)	Designation of Officers (3)	Present Rate (4)
1.	Special Flying Allowance	a. Chief Pilot/Senior Pilot b. Pilot and Junior Pilot	Rs. 550/- Per Hr. (Minimum Rs. 8000 Per Month)

		c. Engineer	Rs. 450/- Per Hr. (Minimum Rs. 8000 Per Month) Rs. 180/- Per Hr. (Minimum Rs. 4000 Per Month)
2.	Instructor Rating Allowance	Instructor/Examiner approved by D.G.C.A.	Rs. 750/- Per Month
3.	Chief Pilot Allowance	Chief Pilot	Rs. 500/- Per Month
4.	Vehicle Allowance	All Pilots/Engineers	Rs. 2000/- Per Month
5.	Aviation Allowance	All Pilots/Engineers/Foreman	Rs. 250/- Per Month
6.	Q.C.M.	Engineer who is designated by D.G.C.A.	Rs. 400/- Per Month
7.	Dy. Q.C.M.	Engineer who is designated by D.G.C.A.	Rs. 250/- Per Month
8.	Adl. endorsement Allowance	All Pilots/Engineers, Subject to airworthiness of Govt. Aircraft	Rs. 200/- Per Month
9.	Flight Release Certificate (F.R.C.)	Engineers	Rs. 100/- Per Certification
10.	Daily Inspection Allowance	All Pilots/Engineers	Rs. 100/- Per Inspection
11.	Insurance for Loans of Licence	All Pilots	Insurance for Rs. 7 Lakhs Per Pilot.

SCHEDULE -IV
(*See* Rule 14)

S. No. (1)	**Cadre (2)**	**Name of the post on which promotion will be given (3)**
	PILOT	
1.	Junior Pilot (Aeroplane)	Pilot (Aeroplane)
2.	Pilot (Aeroplane)	Senior Pilot (Aeroplane)
3.	Senior Pilot (Helicopter)	Chief Pilot
4.	Senior Pilot (Helicopter)	Chief Pilot
	ENGINEERS	
1.	Superintending Engineer	Deputy Chief Engineer (Maintenance)

	(Maintenance)	
2.	Superintending Engineer (Radio)	Deputy Chief Engineer (Radio)
3.	Deputy Chief Engineer (Maintenance)	Chief Engineer

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. N. BERWA, Principal Secy.